प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 10.02.2026

सार्वजनिक सूचना सं - 72/2025-26

विषय: आयात में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का स्वचालन।

आयातकों, सीमा शुल्क अभिकर्ताओं तथा अन्य सभी हितधारकों का ध्यान सीबीआईसी परिपत्र संख्या 06/2026 - कस्टम्स दिनांक 01.02.2026, एवं परिपत्र संख्या 01/2025 - कस्टम्स दिनांक 01.01.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बेहतर गोपनीयता, डिजिटल मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, अभिगम नियंत्रण तथा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने आयात में "ऑटो गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं ऑटो आउट ऑफ चार्ज" के नए उपाय को लागू करने का निर्णय लिया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

i. AEO T2 एवं T3 इकाइयों द्वारा किए गए आयात के मामलों में, माल के आगमन पर वर्तमान वेब - आधारित गुड्स रजिस्ट्रेशन के स्थान पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से गुड्स रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

ii. स्वचालित गुड्स रजिस्ट्रेशन की सुविधा अधिसूचना संख्या 12/2026 - कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 01 फरवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित अनुमोदित "पात्र निर्माता आयातकों" को भी प्रदान की जाएगी।

iii. दीर्घकालीन आपूर्ति शृंखला रखने वाले आयातकों को भी स्वचालित गुड्स रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

iv. डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (DPD) सुविधा का लाभ लेने वाले आयातकों को भी स्वचालित गुड्स रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

v. स्वचालित "आउट ऑफ चार्ज" की सुविधा सभी आयातकों को प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि आवश्यक होने पर शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो तथा किसी प्रकार की अनुपालन आवश्यकता शेष न हो। यह व्यवस्था परिपत्र संख्या 01/2025-कस्टम्स दिनांक 01.01.2025 के माध्यम से AEO T2 एवं T3 इकाइयों के लिए बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के लागू की गई मौजूदा "ऑटो आउट ऑफ चार्ज" सुविधा का पूरक होगी।

3. स्वचालित आउट ऑफ चार्ज (Auto OOC) जोखिम-आधारित मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। तथापि, खुफिया सूचना के आधार पर अधिकारी कस्टम्स सिस्टम में "होल्ड (HOLD)" लागू कर इसे अधिरोहित (override) कर सकते हैं।

4. इस सुविधा के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त, तकनीकी (आयात), एसीसी, मुंबई (ईमेल: pro.acc-sahar@gov.in) के संज्ञान में लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी हेतु संबंधित आयातक हमारे हेल्प डेस्क, टीएसके (तुरंत सुविधा केंद्र) से ईमेल: tsk.accmumbaizone3@gov.in / दूरभाष: 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं।

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त (आयात),
हवाई माल परिसर, मुंबई।

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई सीमा शुल्क ज़ोन -III, मुंबई.
2. सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
3. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), हवाई माल परिसर, मुंबई
4. सभी अपर /संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
5. सभी उपायुक्त/सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (आयात और निर्यात), हवाई माल परिसर, मुंबई
6. व्यापार संघ
7. CB संघ (BCBA)
8. MIAL/एयर इंडिया
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अद्यतन के लिए)
10. कार्यालय प्रतिलिपि